

रोहित कंसल



रोहिणी आर. भाजीभाकरे

चक्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता ग्रामीण भारत

भारत के गांवों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का लंबे समय से पालन होता रहा है। गोबर का उपयोग ईंधन और खाद के रूप में, फसल अवशेषों का पशु चारे के रूप में तथा वर्षा जल का संचयन और पुनः उपयोग किया जाता रहा है। अब आवश्यकता इस परंपरा को आधुनिक, उद्यम-आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलने की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में, जिनका आधार विकसित भारत-रोज़गार और आज़ीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 भी है, इसके लिए अधिकांश आवश्यक घटक पहले से मौजूद हैं। अब अवसर इन सभी को आपस में जोड़ने का है।

जब संसद ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी–जी राम जी अधिनियम) पारित किया, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया, जो इससे पहले ग्रामीण रोज़गार से संबंधित किसी क़ानून में नहीं उठाया गया था। इस अधिनियम की अनुसूची-I में 'चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल को बढ़ावा देने वाली एकीकृत परियोजनाओं' को स्पष्ट रूप से अनुमत कार्यों में शामिल किया गया है। यह एक प्रावधान ग्रामीण विकास के प्रति देश की सोच में महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब मज़दूरी आधारित रोज़गार को केवल सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक और संस्थागत आधार तैयार करने का माध्यम भी माना जा रहा है, जिसमें संसाधनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता।

इस बदलाव का समय भी उपयुक्त है। भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अब केवल अपशिष्ट निपटान तक सीमित न रहकर संसाधनों की खपत कम करने, पुनः उपयोग, मरम्मत, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण और प्राकृतिक संसाधनों के पुनरुद्धार तक विस्तृत हो रहा है। नीति आयोग ने सितंबर 2022 में एक समर्पित चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठ की स्थापना की और संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए 10 क्षेत्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दिया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की व्यवस्था में अब प्लास्टिक पैकेजिंग, टायर, बैटरी, प्रयुक्त तेल और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट शामिल हैं। मिशन लाइफ ने सोच-समझकर उपभोग करने का संदेश घर-घर तक पहुंचाया है।

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार, केवल सात प्रकार के अपशिष्टों पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था से वर्ष 2047 तक लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बाज़ार विकसित हो सकता है और लगभग 84 लाख रोज़गारों को समर्थन मिल सकता है।

हालांकि, चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अधिकांश चर्चा अभी भी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस लेख का तर्क है कि ग्रामीण भारत इस परिवर्तन का केवल निष्क्रिय अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि इसके प्रमुख प्रेरक क्षेत्रों में से एक है। यह लेख यह भी बताता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम-'वीबी–जी राम जी', दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पहले से ही इस परिवर्तन का आधार तैयार कर रहे हैं।

ग्रामीण भारत : चक्रीय अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाएं

भारत की लगभग 64 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि, पशुधन और प्राकृतिक संसाधन दैनिक जीवन को प्रभावित

लेखक रोहित कंसल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव हैं। ई-मेलः secyrd@gov.in
सह-लेखिका रोहिणी आर. भाजीभाकरे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ई-मेलः jsre-mord@gov.in
सह-लेखक आशीष गुप्ता भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव हैं। ई-मेलः ashish.gupta91@gov.in

करते हैं। देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होता है और वहीं उसका उपयोग भी किया जाता है। भारत में हर वर्ष लगभग 35 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें पुआल, भूसी, फसल अवशेष और खाद्य प्रसंस्करण से निकलने वाले अवशेष शामिल हैं। केवल कृषि अवशेषों से ही 18,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। जब इसमें पशुधन से प्राप्त गोबर, ग्रामीण अपशिष्ट जल, जैवभार, वन उपज और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में प्रयुक्त सामग्रियों को भी शामिल किया जाता है, तो आर्थिक और पर्यावरणीय अवसरों की व्यापकता स्पष्ट हो जाती है।

आज जिसे अपशिष्ट माना जाता है, उसे ऊर्जा, मिट्टी के पोषक तत्वों, पशु चारे, निर्माण सामग्री और सबसे महत्त्वपूर्ण, आय के स्रोत में बदला जा सकता है। ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सरल है। ग्रामीण श्रमिक या समुदाय किसी संसाधन को उत्पादक परिसंपत्ति में बदलता है। वह परिसंपत्ति किसी उद्यम को आधार प्रदान करती है, उद्यम से आय उत्पन्न होती है और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति का चक्र निरंतर चलता रहता है।

ग्रामीण भारत के पास एक और ऐसा लाभ है, जिसकी बराबरी बहुत कम देश कर सकते हैं। यह लाभ सामुदायिक संस्थाओं का सघन नेटवर्क है। देश में 2.69 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें स्थानीय परिसंपत्तियों की योजना बनाती हैं और उनका स्वामित्व रखती हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। स्वच्छता कार्यक्रमों ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधार तैयार किया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 5.69 लाख गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, 5.38 लाख गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की गई है तथा 5.65 लाख गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां उपलब्ध हैं। सितंबर 2026 तक देश के 585 ज़िलों में 1,314 गोबरधन बायोगैस संयंत्र संचालित थे।

अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक के लिए 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली गोबरधन-राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों, पशुओं के गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाले प्रेसमड और जैविक अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा तथा जैविक खाद में बदलना है।

'वीबी–जी राम जी' : रोज़गार से संसाधन सृजन तक

एक जुलाई, 2026 से प्रभावी 'वीबी–जी राम जी' अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। यह देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और ग्रामीण रोज़गार गारंटी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक सृजित 4,700 करोड़ से अधिक मानव-दिवसों की विरासत को आगे बढ़ाता है।

सितंबर 2026 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत 10.88 करोड़ से अधिक सक्रिय श्रमिक जुड़े थे। कुल सृजित मानव-दिवसों में महिलाओं की भागीदारी 61.5 प्रतिशत थी, जो क़ानून में निर्धारित एक-तिहाई हिस्सेदारी से काफी अधिक है।

इस अधिनियम को चक्रीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाने वाली प्रमुख विशेषता इसके अंतर्गत अनुमत कार्यों की संरचना है। कुल 375 अनुमत कार्यों को चार विषयगत क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है। इनमें जल सुरक्षा के 128 कार्य, प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचे के 111 कार्य, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे के 98 कार्य और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने से संबंधित 38 कार्य शामिल हैं।

इनमें से अनेक कार्य सीधे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

- **ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन :** अपशिष्ट पृथक्करण शेड, खाद संग्रहण गड्ढे, सोख्ता गड्ढे और घरेलू उपयोग से निकलने वाले अपशिष्ट जल के प्रबंधन से संबंधित संरचनाएं।
- **कम्पोस्ट और वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां :** कृषि तथा घरेलू जैविक अपशिष्ट को स्थानीय खेतों के लिए खाद में बदलने वाली इकाइयां।



नई और हरित प्रौद्योगिकियों से निर्मित ग्रामीण सड़कें

प्रौद्योगिकी	पूरी की गई लंबाई (किमी)
अपशिष्ट प्लास्टिक	48,273
कोल्ड मिक्स	26,631
सीमेंट/स्थिरीकरण प्रौद्योगिकियां	20,618
पैनलयुक्त सीमेंट कंक्रीट/व्हाइट टॉपिंग	6,646
फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (मौजूदा सड़क की सामग्री का पुनर्चक्रण)	6,159
नारियल रेशा/जूट/जियोटेक्सटाइल	1,692

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के आंकड़े, 2026)

- **ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा :** सामुदायिक और घरेलू बायोगैस संयंत्र, जो गोबर को खाना पकाने के ईंधन और जैविक घोल में बदलते हैं।
- **एकीकृत चक्रीय परियोजनाएं :** कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूहों के भवन, पौधशालाएं, भंडारण सुविधाएं और ग्रामीण हाट, जिनमें पुनर्प्राप्त संसाधनों पर आधारित उद्यम संचालित किए जा सकते हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था केवल अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तक सीमित नहीं है। यह उन प्राकृतिक संसाधनों के पुनरुद्धार से भी संबंधित है, जिन पर ग्रामीण उत्पादन निर्भर करता है। खेत-तालाब, चेक डैम, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों का पुनर्जीवन और वनीकरण जैसे जल सुरक्षा संबंधी कार्य मिट्टी तथा जल को स्थानीय संसाधन चक्र में बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए ये कार्य प्राकृतिक संसाधनों के पुनरुद्धार में योगदान देने वाली परिसंपत्तियां हैं।

अधिनियम की दो विशेषताएं इन कार्यों को स्थायी चक्रीय स्वरूप प्रदान करती हैं। पहली, कार्यों की पहचान विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) के माध्यम से की जाती है। ये योजनाएं स्थानीय संसाधनों के मानचित्रण के आधार पर ग्राम सभा के परामर्श से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाती हैं। जिस गांव को अपने जैवभार, अपशिष्ट और जल संसाधनों के प्रवाह की जानकारी होती है, वह उनके उपयोग की बेहतर योजना बना सकता है।

दूसरी, कार्यशालाओं और खाद निर्माण इकाइयों जैसी परिसंपत्तियों का संचालन समुदाय आधारित संगठनों को सौंपा जा सकता है। इससे मज़दूरी आधारित श्रम से निर्मित परिसंपत्ति स्थायी आजीविका का आधार बन सकती है।

यह अधिनियम जिस सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को संभव बनाता है, वह है परिसंपत्ति निर्माण से उसके सक्रिय उपयोग की ओर बढ़ना। मज़दूरी आधारित श्रम से खाद बनाने के लिए गड्ढे का निर्माण इस चक्र की केवल शुरुआत है। उसका वास्तविक महत्त्व तब सामने आता है, जब जैविक सामग्री एकत्र की जाती है, उसे खाद में बदला जाता है, वह खाद खेतों में वापस पहुंचती है और इस व्यवस्था के संचालन से किसी व्यक्ति को आजीविका प्राप्त होती है।

महिला सशक्तीकरण और चक्रीय उद्यमिता

यदि 'वीबी–जी राम जी' परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) उनके संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन और संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराता है।

इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। ये समूह ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों के रूप में संगठित हैं। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले से उपलब्ध सामूहिक संस्थागत संरचनाएं हैं।

मिशन के अंतर्गत 3.46 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और स्वयं सहायता समूहों को लगभग 13.67 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध हुआ है। आदर्श क्लस्टर स्तरीय संघों में आय में 12 से 33 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्यमों की अनेक संभावनाएं हैं:



- स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और जैविक कृषि आदान निर्माण इकाइयां।
- प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण केंद्र, जो औपचारिक पुनर्चक्रण इकाइयों को सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
- कपड़ों के पुनः उपयोग और मूल्य संवर्द्धन की इकाइयां तथा पुनर्प्राप्त सामग्री से हस्तशिल्प निर्माण।
- पौधशालाएं, जैवभार का संग्रहण तथा खाद्य प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पादों का उपयोग।
- मरम्मत, पुरानी वस्तुओं के नवीनीकरण तथा विकेंद्रीकृत अपशिष्ट संग्रहण की सेवाएं।



वस्त्र क्षेत्र इन संभावनाओं की व्यापकता को दर्शाता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख टन वस्त्र अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक की पुनः उपयोग, मूल्य संवर्द्धन अथवा पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति की जाती है। यह व्यवस्था पहले से ही लगभग 40 से 45 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करती है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जो घरों और छोटी इकाइयों में काम करती हैं।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत कृषि सखियों जैसे सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्राकृतिक खेती और स्थानीय स्तर पर तैयार कृषि आदानों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पोषक तत्व कृषि चक्र के भीतर बने रहते हैं और बाज़ार से खरीदे जाने वाले उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।

यही ग्रामीण मॉडल की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यहां चक्रीय अर्थव्यवस्था केवल पर्यावरणीय उपलब्धि नहीं है। यह महिलाओं के लिए मज़दूरी आधारित कार्य से उद्यम के स्वामित्व तक और अनौपचारिक गतिविधियों से मान्यता प्राप्त उद्यमों तक पहुंचने का माध्यम भी है।

हरित सड़कें और आवास : निर्माण में संसाधनों का पुनः उपयोग

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी मात्रा में सामग्री का उपयोग होता है। इसलिए यह क्षेत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने बड़े स्तर पर इस परिवर्तन को अपनाया है। नई और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 1.8 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई है तथा 1.37 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। राज्यों को अपनी वार्षिक प्रस्तावित सड़क लंबाई का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसी प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत प्रस्तावित करना आवश्यक है।

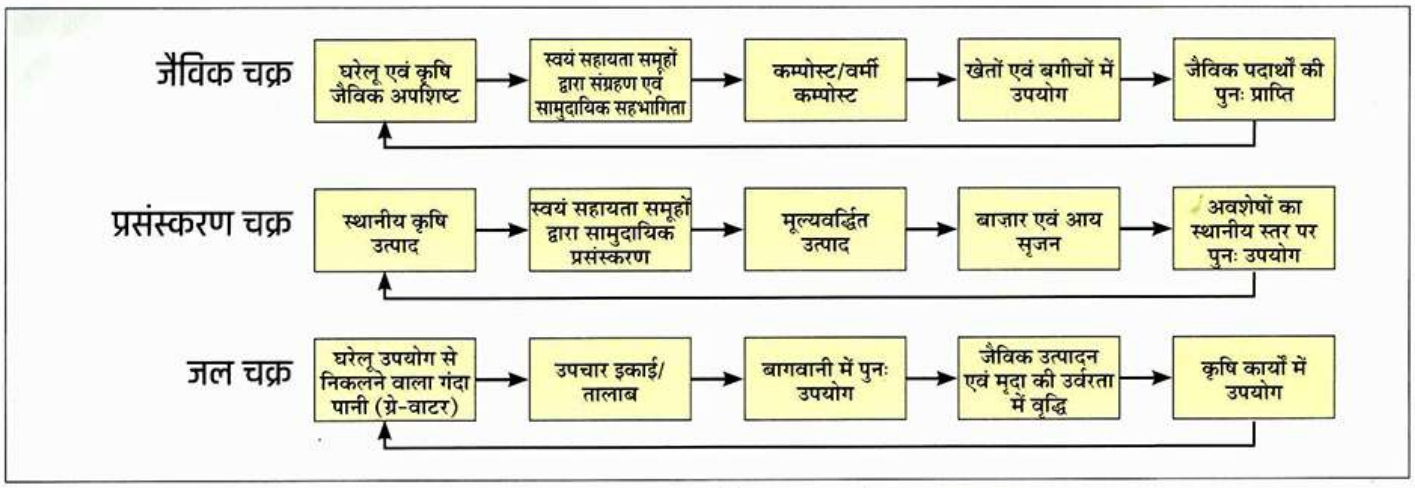
इनमें से प्रत्येक प्रौद्योगिकी संसाधनों के चक्र को पूरा करने में योगदान देती है। जो प्लास्टिक अपशिष्ट अन्यथा नालियों को अवरुद्ध कर सकता था, उसे सड़क निर्माण में बिटुमेन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रौद्योगिकी में पुरानी सड़क की सामग्री का पुनर्चक्रण करके नई सड़क बनाई जाती है। इससे नई निर्माण सामग्री की आवश्यकता और परिवहन कम होता है। नारियल रेशे और जूट से बने जियोटेक्सटाइल ग्रामीण कारीगरों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रेशों की मांग बढ़ाते हैं।

ग्राम स्तरीय चक्रीय अर्थव्यवस्था योजना

विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत एक सरल ग्राम स्तरीय चक्रीय अर्थव्यवस्था योजना कार्यों के व्यवस्थित नियोजन का आधार बन सकती है।

स्थानीय संसाधनों के प्रवाह का मानचित्रण → संसाधनों की अनावश्यक हानि की पहचान → अनुमत कार्यों की सूची में से चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यों का चयन → रोज़गार, बुनियादी ढांचे और उद्यमों का चरणबद्ध नियोजन → संचालन की जिम्मेदारी निर्धारित करना → कार्यप्रणाली, आर्थिक मूल्य और आजीविका के अवसरों की निगरानी → पुनर्निवेश एवं सुधार।

यह योजना ग्राम सभा द्वारा किए गए संसाधन मानचित्रण को उन संसाधन चक्रों की एक संक्षिप्त सूची में बदल देती है, जिन्हें गांव के भीतर पूरा किया जाना है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि प्रत्येक संसाधन चक्र के संचालन की जिम्मेदारी किसकी होगी और पंचायत उसकी प्रभावशीलता का आकलन कैसे करेगी।



ग्राम स्तर पर तीन संसाधन चक्र – जैविक, जल और प्रसंस्करण चक्र

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया गया है। 'पहल' नामक पहल के अंतर्गत स्थानीय सामग्रियों पर आधारित, विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुकूल और जलवायु के प्रभावों का सामना करने में सक्षम 130 प्रकार के आवास डिज़ाइन विकसित किए गए हैं।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से निर्माण करने पर लागत और परिवहन से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है। साथ ही, निर्माण संबंधी कौशल गांवों में ही बने रहते हैं।

तीन करोड़ से अधिक पूर्ण निर्मित आवासों का स्वामित्व पूरी तरह महिलाओं के पास है। विभिन्न योजनाओं के समन्वय से इन आवासों में शौचालय, बिजली, एलपीजी और पाइप से जलापूर्ति जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सुविधाएं प्रत्येक परिवार को गांव की स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ती हैं।

योजनाओं का समन्वय : चक्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार

किसी एक योजना को 'चक्रीय अर्थव्यवस्था की योजना' बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इसके लिए आवश्यक अधिकांश घटक पहले से मौजूद हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करता है। 'गोबरधन' जैविक अपशिष्ट को बायोगैस और खाद में बदलता है। फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2025-26 के बीच 3,926 करोड़ रुपये की सहायता से 42,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर और 3.24 लाख मशीनों को सहायता प्रदान की गई है। डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक उद्यमों का विकास करता है, जबकि 'वीबी–जी राम जी' श्रम के माध्यम से उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। अब आवश्यकता इन सभी घटकों को एक ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में जोड़ने की है।

यही 'वीबी–जी राम जी' समन्वय रूपरेखा का उद्देश्य है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2026 में अनेक मंत्रालयों और विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया।

अगस्त 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग ने संयुक्त रूप से राज्यों को 'वीबी–जी राम जी' और जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरणों के बीच समन्वय को संस्थागत स्वरूप देने की सलाह दी।

घरेलू उपयोग से निकलने वाले अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग इसका अच्छा उदाहरण है। गांवों के उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग पौधरोपण, बागवानी और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। इससे स्वच्छ जल पर दबाव कम होता है और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

इस पूरी व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी का मापन भी आवश्यक है। इसमें पुनर्प्राप्त अपशिष्ट की मात्रा, पुनः उपयोग किए गए जल, उत्पादित ऊर्जा, प्रतिस्थापित उर्वरकों, सृजित रोज़गार और उद्यमों तथा रोके गए उत्सर्जन का आकलन शामिल है। जिन गतिविधियों का मापन किया जाता है, उनके विकास और कार्यान्वयन को भी गति मिलती है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इस प्रक्रिया को संभव बनाती है। युक्तधारा जैसे भू-स्थानिक नियोजन उपकरण और वीबी–एनआरआईएस (विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक) के अंतर्गत विकसित की जा रही परिसंपत्ति रजिस्ट्री से यह जानकारी मिल सकती है कि प्रत्येक परिसंपत्ति कहां स्थित है, उससे क्या उत्पादन होता है और उसका संचालन कौन करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से मज़दूरी का सीधे भुगतान और कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं अनौपचारिक ग्रामीण श्रमिकों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने में सहायक होती हैं। यह ऐसे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जहां लंबे समय से श्रमिकों के कार्य को पर्याप्त पहचान और सुरक्षा नहीं मिली है।

परिसंपत्ति निर्माण से सतत आजीविका तक

विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय उनके घटकों को एक साथ लाता है, जबकि परिसंपत्तियों का निरंतर उपयोग इस जुड़ाव को बनाए रखता है।

अपशिष्ट पृथक्करण के लिए बनाया गया शेड तभी उपयोगी है, जब वास्तव में वहां अपशिष्ट पहुंचे। खाद निर्माण का गड्ढा तभी सार्थक है, जब जैविक सामग्री एकत्र की जाए, उसे खाद में बदला जाए और वह खाद खेतों में वापस पहुंचे। प्रसंस्करण इकाई तभी उपयोगी है, जब उसका नियमित संचालन हो, वह आपूर्ति और बाज़ार से जुड़ी हो तथा उससे आय उत्पन्न हो। इसी प्रकार, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन की संरचना तभी महत्त्वपूर्ण है, जब उपचारित जल का उपयोग उत्पादक गतिविधियों में किया जाए।

इसलिए सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि स्वीकृत कार्य पूरा हुआ या नहीं। यह भी देखना आवश्यक है कि उससे स्थानीय स्तर पर कार्यशील व्यवस्था विकसित हुई या नहीं और उससे उत्पन्न आर्थिक मूल्य यथासंभव गांव की अर्थव्यवस्था के भीतर बना रहा या नहीं।

इस व्यवस्था में प्रत्येक संस्था की अलग भूमिका है। स्वयं सहायता समूह और उनके संघ, गांवों में संसाधनों से संबंधित जानकारी जुटाने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। वे संसाधनों के प्रवाह का मानचित्रण करते हैं, परिवारों को संगठित करते हैं और सामूहिक उद्यमों के अवसरों की पहचान करते हैं।

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नियोजन की भूमिका निभाती हैं। वे स्थानीय प्राथमिकताएं तय करती हैं और विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से कार्यों का क्रम निर्धारित करती हैं।

'वीबी–जी राम जी' रोज़गार और परिसंपत्ति निर्माण का आधार प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्थानीय उद्यमी उद्यम तथा मूल्य संवर्द्धन से जुड़ी कड़ी बनाते हैं, जो परिसंपत्तियों का निरंतर संचालन सुनिश्चित करती है।

ज़मीनी स्तर पर यह व्यवस्था कैसे काम करती है, इसे तीन सरल चक्रों के माध्यम से समझा जा सकता है।

जैविक चक्र : घरों और खेतों से नियमित रूप से जैवभार प्राप्त होता है। स्वयं सहायता समूह जागरूकता, संग्रहण और पृथक्करण का कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत योजना तैयार करती है और स्थान उपलब्ध कराती है। 'वीबी–जी राम जी' के अंतर्गत कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट निर्माण की संरचनाएं बनाई जाती हैं तथा महिला-नेतृत्व वाला समूह उनका संचालन करता है। तैयार खाद खेतों और घरेलू सब्ज़ी बगीचों में वापस पहुंचती है, जिससे बाज़ार से खरीदे जाने वाले कुछ कृषि आदानों की आवश्यकता कम होती है। इस प्रकार जो सामग्री पहले अपशिष्ट थी, वह कृषि आदान और आजीविका का साधन बन जाती है।

जल चक्र : घरेलू उपयोग से निकलने वाले अपशिष्ट जल को सोख्ता गड्ढों, उपचार इकाइयों या स्थिरीकरण तालाबों तक पहुंचाया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उपचारित जल का उपयोग पौधरोपण, बागवानी या भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है। इससे स्वच्छता, जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता अलग-अलग विषय न रहकर एक ही स्थानीय चक्र के हिस्से बन जाते हैं।

प्रसंस्करण चक्र : छोटी आटा मिलें, तिलहन प्रसंस्करण इकाइयां, काजू और वन उपज प्रसंस्करण इकाइयां तथा सफाई, श्रेणीकरण और पैकेजिंग के एकीकृत केंद्र उत्पादकों के निकट ही मूल्य संवर्द्धन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। गर्म दबाव से तैयार जैव-अवक्रमणीय प्लेटें और बांस के हस्तशिल्प स्थानीय सामग्रियों के उपयोग के अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हैं। इन प्रक्रियाओं से निकलने वाले अवशेषों का भी स्थानीय स्तर पर पुनः उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में उद्यम सार्वजनिक कार्य का केवल अतिरिक्त घटक नहीं है, बल्कि वही परिसंपत्ति को निरंतर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ता है।

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था : चुनौतियां और आगे की राह

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएं व्यापक हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। अनेक सामुदायिक परिसंपत्तियां निर्माण के बाद प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके संचालन और रखरखाव की पर्याप्त योजना नहीं बनाई जाती। खाद और पुनर्चक्रित प्लास्टिक जैसे पुनर्प्राप्त उत्पादों के लिए उचित मूल्य पर नियमित खरीदार मिलना भी चुनौतीपूर्ण होता है। ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को बायोगैस संयंत्रों तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के संचालन के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है।

गांवों में अब नए प्रकार के अपशिष्ट भी पहुंच रहे हैं। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2024 के 6.19 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2030 तक 14 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। दूसरी ओर, इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की व्यवस्थाएं अभी भी मुख्यतः शहरों में केंद्रित हैं।

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए पांच प्राथमिकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. **प्रत्येक विकसित ग्राम पंचायत योजना में ग्राम चक्रीय अर्थव्यवस्था योजना :** ग्राम पंचायतों को भूमि और जल संसाधनों की तरह ही अपशिष्ट तथा अन्य संसाधनों के प्रवाह का भी नियमित मानचित्रण करना चाहिए। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे स्थानीय स्तर पर संसाधनों के चक्र पूरे हो सकें।
2. **सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि सक्रियता भी :** उपयोगी परिसंपत्तियों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में ग्राम सभा की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक खाद निर्माण इकाई, बायोगैस संयंत्र या कार्यशाला की योजना बनाते समय उसके संचालन के लिए किसी स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन या उद्यमी की पहचान की जानी चाहिए। उसके

निरंतर संचालन के लिए व्यावसायिक योजना भी होनी चाहिए। परिसंपत्तियों की निगरानी केवल उनके निर्माण के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक कार्यशीलता के आधार पर की जानी चाहिए।

3. **ग्रामीण और शहरी चक्रीय प्रणालियों के बीच संपर्क :** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क सुविधाएं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित संग्रहण केंद्र ग्रामीण अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को शहरी पुनर्चक्रण इकाइयों तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों वाले उत्पादकों से जोड़ सकते हैं। इससे सामग्री, कौशल और आर्थिक मूल्य का दोनों दिशाओं में आदान-प्रदान संभव होगा।

4. **सुनिश्चित बाज़ार :** स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार खाद और जैविक कृषि आदानों की संस्थागत खरीद तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पुनर्चक्रित सामग्रियों के व्यापक उपयोग से इन उत्पादों की स्थिर मांग पैदा की जा सकती है।

5. **चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम कार्यबल :** अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना, कौशल विकास, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण में निवेश करना आवश्यक है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी कमज़ोर वर्गों के श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय उनकी क्षमताओं को बढ़ाए।

'विकसित भारत@2047' की यात्रा का निर्धारण जितना देश के शहरों में होगा, उतना ही गांवों में भी होगा। ग्रामीण भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा बाहर से अपनाने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपनी पारंपरिक व्यवस्था को पुनः पहचानकर आधुनिक स्वरूप देना है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यों को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाली वैधानिक रोज़गार गारंटी, 10 करोड़ संगठित महिलाओं का आंदोलन तथा अपशिष्ट को संसाधन के रूप में उपयोग करने वाले सड़क और आवास कार्यक्रम इसके लिए आवश्यक आधार पहले से उपलब्ध करा रहे हैं।

अब अवसर ग्रामीण विकास की मौजूदा व्यवस्थाओं को एक समन्वित चक्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में संचालित करने का है। इससे स्थानीय संसाधनों के चक्र पूरे किए जा सकेंगे और आजीविका के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें प्रत्येक संसाधन का महत्त्व हो, प्रत्येक श्रमिक के योगदान को मान्यता मिले और प्रत्येक गांव सतत विकास में भागीदार बने। ❑

